

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारा जिला बारां (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
2015	188 RTA	बारा	बारा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मदनमोहन	बनाम	मदनलाल वगै	

आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक 9/15 कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 15/6/15 को पेश हो।

*[Signature]*  
उप खण्ड अधिकारी  
बारां

पीठस्थान अधिसूचना, 31/11/15  
दिनांक 29/11/15  
को प्रस्तुत की।

*[Signature]*  
उप खण्ड अधिकारी बारां

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा अकालत करामत कि उक्त प्रक्रिया सम्मानित प्रकरण सम्भाव्य में पेश किया गया है जिसमें सम्मानित एड वी रज. न. व रकवा है। अस्त प्रकरण को इस्त प्रकरण के साथ संश्लेषित किया जावे। प्रमाण बरमा 48/15 मां श्री वज्रराज किशोर शर्मा द्वारा पेश किया गया है। सम्मानित एड वी को सूचित कर दिया गया तथा नोटिस व तलव दिलाई गई। न्युक्ति प्रकरण एड वी विषय वस्तु से सम्मानित है। उक्त प्रकरण का प्रकाश मानते हेतु के संश्लेषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सम्मानित प्रमाण संश्लेषित मां हेतु वस्तु तबकी पत्रावली दिनांक 6/7/15 को पेश हो।

*[Signature]*  
उप खण्ड अधिकारी  
बारां

दिनांक 29/11/15  
को प्रस्तुत की।

मन्थ  
23/11/15

*[Signature]*

